भारत सरकार
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 1827
दिनांक 25 नवंबर, 2016 को उत्तर के लिए

सबला के अंतर्गत निधियों के आवंटन में वृद्धि

1827. श्री गजेन्द्र सिंह शेखावतः

क्या महिला और बाल विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार का किशोरियों के सशक्तीकण हेतु राजीव गांधी योजना के अंतर्गत लाभार्थियों की बढ़ती हुई संख्या के कारण जारी की गई निधियों से उपयोग की गई कुल निधियों के मद्देनजर इस योजना के अंतर्गत जारी की गई निधियों में बढ़ोतरी किए जाने का कोई विचार है; और
(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

श्रीमती कृष्णा राज महिला एवं बाल विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री

(क) : किशोरियों के सशक्तीकरण के लिए राजीव गांधी स्कीम (आरजीएसईएजी) 'सबला' के अंतर्गत निधि, लाभार्थियों की वास्तविक संख्या और स्कीम के अधीन निर्धारित वित्तीय मानकों के अनुसार निर्मुक्त की जाती है। निधि की मात्रा का निर्धारण करते समय, पिछली देनदारियां/अव्ययित अधिशेष यदि कोई हो, को ध्यान में रखा जाता है। अतः किसी विशेष वर्ष की कुल उपयोगिता, उस वित्तीय वर्ष में जारी की गई निधि से होती है। तथापि, निधियों की कुल उपयोगिता, सदा, राज्यों को जारी की गई निधियों से कम या समतुल्य होती है। पिछले दो वर्षों और वर्तमान वर्ष में निर्मुक्त, उपयोग की गई निधियां और लाभार्थियों का विवरण इस प्रकार हैः

वर्ष	कुल निधि (रुपये लाखों में)		पोषण के लाभार्थी (रुपये लाखो में)
	निर्मुक्त	उपयोग की गई	
2014-15	61032.12	67424.63	118.77
2015-16	47040.57	49479..06	110.03
2016-17 (30.06.2016 तक)	39516.75	13870.90	54.50

(ख) : प्रश्न नहीं उठता है।

*****